<u>न्यायालयः</u>— विशेष न्यायाधीश (डकैती) गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

विशेष डकैती प्रकरण कमांक 193/15 संस्थित दिनांक — 07.09.2015 फाईलिंग नंबर—230303006412015

मध्य प्रदेश शासन द्वारा पुलिस थाना मालनपुर जिला भिण्ड म०प्र०।

----अभियोजन

बनाम

- राहुल पुत्र जगदीश उर्फ छुन्नालाल धानुक, उम्र 24 वर्ष निवासी कचनाव रोड सब्जी मण्डी के पास गोरमी
- 2. सुनील पुत्र प्रहलाद धानुक, उम्र 22 साल निवासी डिरमन पाली तहसील गोहद
- रविकान्त वर्मा पुत्र राकेश धानुक, उम्र 23 साल निवासी नेहरा थाना अमायन

-----आरोपीगण

शासन द्वारा अपर विशेष लोक अभियोजक श्री भगवानसिंह बघेल। अभियुक्त राहुल द्वारा श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता । अभियुक्त रविकान्त द्वारा श्री अवध बिहारी पाराशर अधिवक्ता । अभियुक्त सुनील द्वारा श्री विकास कांकर अधिवक्ता ।

//नि र्ण य// //आज दिनांक **27 अप्रेल 2016** को घोषित किया गया//

- 01. अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 392/397 भा0द0सं0 सहपिठत धारा 11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 अधिनियम 1981 के अंतर्गत आरोप है कि उन्होंने दिनांक 4—7—2015 के 10:45 बजे हॉट लाइन फैक्ट्री से लहचूरा का पुरा को जाने वाली रोड पुलिया अंतर्गत थाना मालनपुर जिला भिण्ड के डकैती प्रभावित क्षेत्र में अपने साथियों के साथ मिलकर फरियादी विनीता सरल से एक कत्थई रंग का बैग, नोिकया मोबाइल तथा बारह सौ रूपये नगदी को खतरनाक आयुध कट्टा का उपयोग करके लूट कारित की । तथा आरोपी राहुल पर धारा— 25(1—बी)(ए) आयुध अधिनियम 1959 के अंतर्गत यह भी आरोप है कि उक्त दिनांक व समय व स्थान पर वह अपने आधिपत्य में बिना वैध अनुज्ञप्ति के एक 315 बोर का कट्टा मय 01 राउण्ड रखे था।
- 02. प्रकरण में यह तथ्य र्निविवादित है कि प्रकरण की पीड़िता श्रीमती विनीता सरल शासकीय प्राथमिक विद्यालय लहचूरा के पुरा में सहायक अध्यापिका के पद पर वर्ष 2008 से पदस्थ है और उसी विद्यालय में अन्य साथी मन्जूलता 30सा05, श्यामिसंह भदौरिया 30सा06, जगराम हिण्डोरिया 30सा07 सहायक अध्यापक के रूप में पदस्थ हैं । यह भी निर्विवादित है कि ग्राम लहचुरा का पुरा राजस्व जिला भिण्ड के अंतर्गत आता है एवं घटना दिनांक 04.07.15 को राजस्व जिला भिण्ड में एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट 1981 के प्रावधान लागू थे जिससे घटनास्थल डकैती प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह भी निर्विवादित है कि दिनांक 04.07.15 को शनिवार का दिन होकर विद्यालय चालू था और कार्यदिवस था।

- अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादिया ने मय प्रधान अध्यापक 03. जगराम हिण्डोलिया, शिक्षक श्याम सिंह भदौरिया, शिक्षिक मन्जूलता एवं सरपंच कालीचरन जाटव के थाना आकर मौखिक रिपोर्ट की कि वह अपनी ड्यूटी पर शासकीय प्राथमिक विद्यालय लहचूरा का पुरा पैदल जा रही थी । हॉटलाईन फैक्ट्री से लहचूरा जाने वाली रोड पर बनी पुलिया के पास पहुंची थी कि लहचूरा पुरा की ओर से एक मोटरसायकिल पर तीन लोग आ रहे थे उन्होंने उसके पास आकर मोटरसायकिल रोकी । एक व्यक्ति ने कट्टा उसके सामने छाती के पास लगा दिया तथा उसके हाथ से वेग छीन लिया और तीनों मोटरसायकिल से मालनपुर तरफ चले गये थे । उसका वेग कत्थई रंग का रेग्जीन का 6 चेन का जिसमें एक नोकिया मोवायल पुराना काले सफेद रंग का जिसमें सिम नंबर 9926546903 लगी थी जिसकी कीमत 2000 / — रूपये रखा था तथा 1200 / — रूपये जिनमें दो नोट पांच पांच सौ रूपये के तथा 02 नोट सौ सौ के थे । वेग के एक खाने में उसके दो पासपोर्ट साईज के फोटो तथा उसका वोटर कार्ड की एक छाया प्रति रखी थी । जिस व्यक्ति ने उसके कट्टा लगाकर वेग छीना उसे वह सामने आने पर पहचान लेगी । मोटरसायकिल का रंग काला था नम्बर उसने नहीं देख पाया थ । तीनों बदमाशों की उम्र 20-25 वर्ष के बीच की होगी । किसी ने विद्यालय में सूचना की तब स्टाफ के आने पर साथ में थाने रिपोर्ट को आयी हूं । वह अपने बैग को सामने आने पर पहचान लेगी । फरियादी की उक्त मौखिक रिपोर्ट पर से पुलिस थाना मालनपुर के द्वारा अप०कं० 111/15 पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपीगण को गिरफतार किया गया। जप्ती की कार्यवाही की गयी तथा संपूर्ण विवेचनापूर्ण कर अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया।
- 04. आरोपीगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टिया धारा 392/397 भा०द०सं० सहपिवत धारा 11,13 एम०पी०डी०व्ही०पी०के० एक्ट के अंतर्गत एवं आरोपी राहुल के विरूद्ध अतिरिक्त रूप से धारा—25(1—बी)(ए) आयुध अधिनियम का आरोप लगाये जाने पर उन्होंने अपराध अस्वीकार किये तथा विचारण चाहा। धारा 313 दं.प्र.सं. के प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त परीक्षण में आरोपीगण ने स्वयं को निर्दोष बताते हुए झूठा फंसाया होना अभिकथित किया है तथा कोई बचाव साक्ष्य पेश नहीं की है।
- 05. प्रकरण मुख्य रूप से निम्न विचारणीय हैं कि—
 - 1. क्या आरोपीगण के द्वारा दिनांक 4—7—2015 के 10:45 बजे डकैती प्रभावित क्षेत्र में हॉट लाइन फैक्ट्री से लहचूरा का पुरा को जाने वाली रोड पुलिया अंतर्गत थाना मालनपुर जिला भिण्ड पर जाते समय फरियादी श्रीमती विनीता सरल के साथ लूट कारित की?
 - 2. क्या आरोपीगण ने आपस में मिलकर लूट कारित करने का सामान्य आशय निर्मित करते हुए उसके अग्रसरण में फरियादी श्रीमती विनीता सरल के कब्जे से घातक आयुध देशी कट्टे का भय दिखाकर उसके बैग जिसमें नोकिया मोबाईल और 1200/—रूपये रखे थे, को छीनकर लूटकारित की?
 - 3. क्या आरोपी राहुल के द्वारा उक्त दिनांक व समय व स्थान पर अपने आधिपत्य व संज्ञान में वगैर वैध शस्त्र लायसेन्स के 315 बोर का एक देशी कट्टा मय एक जीवित कारतूस के रखे हुए पाया गया?
- 4. अंतिम निष्कर्ष एवं दण्ड?

-::निष्कर्ष के आधार::-

विचारणीय प्रश्न कमांक-1 एवं 2 का निराकरण

नोट:— प्रकरण में अभियोजन साक्ष्य के दौरान जो दस्तावेज प्रदर्शित हुए हैं उसमें प्र0पी0—9 के रूप में आरोपी रविकान्त का मेमोरेण्डम कथन एवं पटवारी नक्शा अंकित हो गया है। जबिक पटवारी नक्शा क्रम अनुसार प्र0पी0—15 के रूप में अंकित होना था। इसी कारण साईवर सेल की रिपोर्ट तथा धारा—65 (ख) साक्ष्य विधान के प्रमाणीकरण पर क्रमशः प्र0पी0—15 एवं 16 प्रदर्श अंकित हो गये हैं अतः क्रम सुधारते हुए आगे विश्लेषण में रविकांत का मेमोरेण्डम कथन प्र0पी0—9 के रूप में, पटवारी नक्शा प्र0पी0—15, साईवर सेल की रिपोर्ट प्र0पी0—16 एवं धारा—65 (ख) साक्ष्य विधान के प्रमाणीकरण प्र0पी0—17, तथा जप्ती पत्रक प्र0पी0—19 के रूप में मूल्यांकन में लिया जा रहा है।

- 06. उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिये एवं सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है।
- 07. परीक्षित साक्षियों में से घटना के सर्वाधिक महत्व की साक्षी फरियादिया विनीता सरल अ0सा0—1 है जिसने अपने अभिसाक्ष्य में इस आशय की साक्ष्य दी है कि वह आरोपीगण को पहचानती है और शासकीय प्राथमिक विद्यालय लहचूरा के पुरा में वर्ष 2008 से सहायक अध्यापिका के पद पर पदस्थ है तथा दिनांक 04.07.15 को सुबह 10.45 बजे जब वह ग्वालियर से आकर मालनपुर में बस से उतरकर पैदल पैदल हॉटलाईन फैक्ट्री से होते हुए अपने स्कूल जा रही थी तब रास्ते में पुलिया के पास तीन लड़के मोटरसाईकिल से आये और उन्होंने मोटरसाईकिल रोकी। उसमें से एक लड़के ने उसके पास आकर उसकी छाती की तरफ कट्टा लगाकर उसका पर्स छीन लिया। फिर तीनों लड़के मोटरसाईकिल से भाग गये। वह घबडा गई थी। रास्ते में उसे एक ऑटो वाला मिला था जिसे उसने घटना के बारे में बताया था और यह भी कहा था कि उसके स्कूल में जाकर सहकर्मी जगराम हिण्डोलिया और श्यामसिंह को वह घटना के बारे में बता दे। उसकी साथी अध्यापिक मंजूलता पीछे से करीब दस मिनट बाद आई थी। जिसे उसने पूरी घटना बताई थी।
- 08. अ0सा0—1 विनीता सरल द्वारा यह भी बताया गया है कि उसका जो पर्स छीना गया था उसमें 1200 रूपये रखे थे जिनमें दो पांच पांच सौ के नोट व दो सौ सौ के नोट थे। तथा उसके पासपोर्ट साईज के फोटो व वोटरकार्ड की फोटोकॉपी थी। एक मोबाईल नोकिया कंपनी का सफेद काले गरं का जिसमें आईडिया कंपनी की सिम कमांक—9926546903 डली थी, को लूटकर ले गये थे। स्कूल की तरफ थोडा चलने पर रास्ते में ही जगराम हिण्डोलिया व श्यामिसंह भी आ गये थे। कुछ समय के बाद सरपंच कालीचरण भी आ गये थे। जिनके साथ उसने थाना मालनपुर में जाकर घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0—1 मौखिक रूप से लिखाई थी। साक्षी ने एफ0आई0आर0 प्र0पी0—1 पर ए से ए माग पर अपने हस्ताक्षर बताते हुए कहा है कि पुलिस ने उसके साथ घटनास्थल पर जाकर घटनास्थल का नक्शामौका प्र0पी0—2 बनाया था। उस पर भी उसके हस्ताक्षर कराये थे और यह भी कहा है कि पुलिस ने उसका बयान लिया था तथा उससे आरोपी राहुल की पहचान की कार्यवाही कराई गई थी जिसमें उसने राहुल की पहचान सही की थी जिसका प्र0पी0—3 का शिनाख्ती पंचनामा बनाया गया था। लूटे गये सामान को पुलिस ने जप्त किया था। उसकी भी उससे पहचान कराई थी जिसमें उसने अपना सामान और रूपये पहचाने थे। उसका प्र0पी0—4 का शिनाख्ती पंचनामा भी बनाया गया था। साक्षिया ने अन्य आरोपी राहुल और रिव को भी न्यायालय में देखकर यह कहा है कि उक्त लड़के भी लूट के घटना में साथ में थे।
- 09. विनीता अ0सा0—1 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह भी स्पष्ट किया है कि वह और साथी अध्यापिका मंजूलता हमेशा साथ साथ स्कूल नहीं जाते हैं। न ही रोजाना एक दूसरे का फोन करे एक साथ जाते हैं। घटना वाले दिन मंजूलता से उसकी बातचीत अवश्य हुई थी जिसमें मंजूलता ने उससे यह कहा था कि वह थोड़ी लेट हो गई और तुम निकल जाओ। मालनपुर पहुंचने के दस मिनट बाद मंजूलता आई थी। साक्षिया ने स्कूल की समय सारिणी के बारे में यह बताया है कि उनका स्कूल सुबह दस बजे से शाम चार बजे तक का है और मालनपुर से वह अपने स्कूल पैदल ही आती जाती है। हॉटलाईन फैक्ट्री के आसपास और रास्ते में कोई दुकान, मकान नहीं हैं। घटनास्थल के पास उसे सबसे पहले ऑटोवाला मिला था जो ग्राम लहूचरा का पुरा का ही रहने वाला है और इसी कारण वह उसे जानती है। ऑटोवाला जब तक आया तब तक आरोपी भाग चुके थे। ऑटोवाले के बाद मंजूलता आई थी और मंजूलता के बाद श्याम और जगराम आये थे। जो सभी घटना होने के दस पन्द्रह मिनट बाद उसके पास आकर इकट्ठे हो गये थे फिर वे बातचीत करने थाने गये थे और थाने पर उसने रिपोर्ट लिखाई थी। उसके स्टाफ में से किसी ने पुलिस को फोन नहीं किया था। जिस आरोपी ने कट्टा लगाया था उसके अलावा अन्य दोनों आरोपियों ने उससे कुछ नहीं कहा था। वह मोटरसाईकिल चालू करके खड़े रहे जिन्होंने सहयोग तो किया था, ऐसा

उसने पैरा—6 में स्पष्ट किया है। तथा पैरा—7 में यह भी कहा है कि घटना क्षणिक समय में ही हो गई थी। आरोपीगण मुंह नहीं बांधे थे और वह उन्हें पहले से नहीं जानती है।

- 10. अ0सा0—1 विनीता ने आरोपी राहुल की एवं माल की पहचान के संबंध में और जप्त सामान की पहचान के संबंध में यह अवश्य कहा है कि शिनाख्ती की कार्यवाही के समय टी0आई0 साहब और दो तीन लोग और थे अन्य कोई अधिकारी नहीं था। शिनाख्ती कार्यवाही थाने पर होना बताते हुए उसने यह भी कहा है कि सामान की शिनाख्ती के समय उसके ही पर्स और मोबाईल व रूपये रखे थे। अन्य सामान नहीं मिलाया था। लेकिन उसने इस बात से इन्कार किया है कि उसके साथ किन्हीं अन्य आरोपीगण के द्वारा लूट की घटना की गई है। उसने इस बात से भी इन्कार किया है कि पुलिस के कहने से वह बयान दे रही है। बिल्क उसने यह कहा है कि उसके साथ जो घटना घटित हुई थी, उसी आधार पर वह बता रही है। ऑटोवाले के द्वारा घटना की बात स्कूल में बताये जाने, पीछे से मंजूलता के आने पर उसे घटना बताये जाने की बातें न्यायालय में पहली बार बताया जाना उसने पैरा—9 में स्वीकार किया है और यह कहा है कि उसने तीनों आरोपीगण को पहचानने की बात पुलिस का एफ0आई0आर0 प्र0पी0—1 और प्र0डी0—1 में बताई थीं। लेकिन राहुल को पहचानने की बात नहीं बताई थीं। लूट करने वालों की उम्र 20—25 साल के बीच की होना भी उसने बताया था। हुलिया के बारे में नहीं बताया था। केवल यह कहा था कि सामने आने पर पहचान लेगी। यह स्वीकार किया है कि जिस आरोपी उसकी छाती पर कट्टा अड़ाकर बैग छीना था उसके पहचान पुलिस ने कराई थी। अन्य आरोपियों की नहीं कराई। लेकिन इस बात से इन्कार किया है कि आरोपीगण घटना में मौजूद थे।
- अन्य परीक्षित साक्षी सरंपच कालीचरण अ०सा०–४ एवं मंजुलता अ०सा०–५, श्यामसिंह अ०सा०–६, और जगराम हिण्डोलिया अ०सा०–७ ने अपने अभिसाक्ष्य में फरियादिया श्रीमती विनीता सरल के अभिसाक्ष्य का पूर्णतः समर्थन किया है। ऑटोवाले के संबंध में भी यह बताया है कि ऑटोचालक चरनसिंह अ०सा०–2 के रूप में परीक्षत हुआ है जो ग्राम लहचुरा का पूरा का ही रहने वाला है और उसने भी अपने अभिसाक्ष्य में फरियादिया विनीता सरल के अभिसाक्ष्य का समर्थन करते हुए यह बताया है कि वह प्रतिदिन ग्राम लहचूरा का पुरा से मालनपुर इण्डस्टीयल एरिया में सवारियों व सामान को ढोने का काम ऑटो रिक्शा से करता है। फरियािदी विनीता सरल उसके गांव के स्कूल में अध्यापिका हैं इसलिये वह उन्हें जानता है। साक्षी ने दिनांक 08.12.15 को कथन देते हुए यह बताया है कि पिछली चार जुलाई की घटना है। वह मालनपुर से ग्राम लहचुरा के पुरा अपने ऑटो रिक्शा से आ रहा था। रास्ते में हॉटलाईन फैक्ट्री के पास पुलिया पर जब वह पहुंचा तो विनीता मेडम उसे रोते हुए मिली थी जिससे उसन पूछा था कि क्या बात है तो विनीता ने उसे बताया था कि उनका पर्स, मोबाईल और रूपये तीन लडकों ने लूट लिये हैं। यह भी कहा था कि स्कूल में हिण्डोलिया व भदौरिया सर को बता देना । तब उने स्कूल में जाकर उक्त दोनों शिक्षकों को विनीता मेडम द्वारा बताई बातें कही थीं। विनीता ने उसे एक दो मिनट में लूट की बात बताइ थी और पिछले साढे तीन साल से वह ऑटो चला रहा है। इस घटना के अलावा और कोई लट की घटना उसकी जानकारी में नहीं हुई है। चरनसिंह के द्वारा घटना के बारे में बताये जाने का समर्थन कालीचरण अ०सा0—4, श्यामसिंह भदौरिया अ०सा0—6 और जगराम हिण्डोलिया अ०सा0—7 ने भी अपने अभिसाक्ष्य में किया है। उनकी अभिसाक्ष्य में इस बात की पुष्टि होती है कि विद्यालय का समय सुबह साढ़े दस बजे से शाम चार बजे तक का है।
- 12. सामान की पहचान के संबंध में सरपंच कालीचरण अ०सा0—4 ने यह भी बताया है कि विनीता द्वारा लूटे गये सामान के बारे में उसे बताते हुए यह कहा गया था कि उसका बैग कत्थई रंग का था और उसमें मोबाईल फोन, 1200रूपये फोटो तथा वोटर कार्ड की फोटोकॉपी रखी थी जो लूटे गये थे और रिपोर्ट लिखाने वह साथ में गया था। रिपोर्ट में उसका नाम लिखाया गया थ। इस कारण उसने पुलिस को पूछताछ करने पर बयान दिया था। साक्षी ने यह भी बताया है कि आरोपी सुनील, रविकांत और राहुल उसके सामने पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये थे जिनके पुलिस ने प्र0पी0—5 लगायत 7 के गिरफ्तारी पत्रक बनाये थे। उनसे पूछताछ की गई थी। पूछताछ करने पर सुनील ने पुलिस को उसके सामने अपने हिस्से में मोबाईल फोन नोकिया कंपनी का मिलना और घर ग्राम पाली में रखना और बरामद कराना बताया

था जिसका प्र0पी0—8 का मेमोरेण्डम कथन पुलिस ने तैयार किया था। तथा आरोपी रिवकांत ने पुलिस को जानकारी देते हुए हिस्से में 600रूपये मिलना उसमें से 100रूपये खर्च कर लेना और 500रूपये अपने घर बंशीपुरा मुरार में रखना और बरामद कराने की जानकारी दी थी जिसका प्र0पी0—9 का शिनाख्ती मेमोरेण्डम बनाया गया था और राहुल के द्वारा भी हिस्से में 600रूपये मिलना, उसमें से 100 रूपये खर्च कर लेना व 500 रूपये तथा लूटा गया बैग एवं घटना में प्रयुक्त कट्टा अपने घर पर गोरमी रखना और बरामद कराना बताया था जिसका प्र0पी0—10 का मेमोरेण्डम कथन पुलिस ने तैयार करना बताया है साथ ही राहुल की कार्यवाही वह गोरमी में होना बताता है। कालीचरण अ0सा0—4 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह भी बताया है कि राहुल से कत्थई रंग का एक बैग तथा 500रूपये का एक नोट, 315 बोर का एक कट्टा जिन्दा कारतूस सिहत गोरमी से उसके घर से पुलिस ने बरामद किया जिसका प्र0पी0—11 का जप्ती पत्रक वहीं बनाया गया था और वह साथ में गया था। होतमिसंह भी उनके साथ गया था।

- आरोपी सुनील के संबंध में उसका कहना है कि सुनील से नोकिया फोन पुलिस ने उसके सामने जप्त कर प्र0पी0—12 का जप्ती पत्रक बनाया था और आरोपी रविकांत से 500रूपये का नोट जप्त कर प्र0पी0-13 का जप्ती पंचनामा बनाया था तथा यह भी कहा है कि लूट का माल पुलिस द्वारा जप्त कर लेने की बात उसके द्वारा पहचान की कार्यवाही फरियादिया विनीता सरल से कराई गई थी जिसका प्र0पी0-4 का शिनाख्ती पंचनामा भी बनाया गया था। माल की पहचान की कार्यवाही वह थाने के पास डांक बंगले में की जाना और पहचान के समय तीन बैग मिलाकर रखना बताये हैं जिनमें एक काले रंग का, एक सिलेटी रंग का और एक कत्थई रंग का था। जिनमें से कत्थई रंग का बैग विनीता ने पहचाना था। मोबाईल एक ही रखा था जो विनीता ने पहचान लिया थ। शिनाख्ती की कार्यवाही की लिखापढी पुलिस वालों ने की थी। उसके हस्ताक्षर कराये थे और सील लगाई थी। उसकी सरपंची काल में उक्त घटना के अलावा एक और लूट की घटना घटित हुई है। साक्षी ने यह भी स्पष्ट किया है कि विनीता मेडम जब स्कूल आई थीं तब वे स्कूल बंद करके थाने चले गये थे और पुलिस ने आरोपीगण के पकडे जाने के बाद उसे थाने बुलाया था और उनसे पूछताछ एक साथ पुलिस ने की थी। सामान की पहचान की लिखापढ़ी थाने पर होने और थाने पर ही सभी कागजातों पर वह हस्ताक्षर करना बताता है। स्कूल बंद करके रिपोर्ट के लिये जाने की बात प्रधान अध्यापक जगराम हिण्डोलिया अ०सा०-7 ने भी स्वीकार की है और श्यामसिंह भदौरिया अ०सा0–6 ने भी की है और यह भी बताया है कि एफ0आई0आर0 लिखाने के बाद वे अपने अपने घर चले गये थे क्योंकि स्कूल का समय खतम हो गया था। अ०सा०–७ का यह कहना है कि जब ऑटोवाले ने स्कूल में आकर घटना की जानकारी दी थी उस समय वह स्कूल में बच्चों को पढाने के लिये इकट्ठा कर रहे थे। सूचना मिलने पर वह स्कूल बंद करके कार्यवाही के लिये चल दिये थे और रिपोर्ट विनीता ने लिखाई थी।
- 14. अ०सा०–१ बदनसिंह ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 22.08.05 को पटवारी के पद पर हलका नंबर—27 मालनपुर में पदस्थ रहते हुए पुलिस के द्वारा उससे नक्शा बनवाये जाने हेतु उसे बुलाये जाने पर उसने मौके पर पहुंचकर राजस्व अभिलेख के आधार पर प्र0पी0–9 का नक्शा तैयार करना बताया है। होतम अ०सा०—11 को अभियोजन की ओर से परीक्षित नहीं कराया गया है जिसने सरपंच कालीचरण के द्वारा लूटे गये मोबाईल की पहचान की कार्यवाही उसके सामने कराई जाना ओर उसमें तीन मोबाईल रखे जाना बताते हुए प्र0पी0—3 के शिनाख्ती पंचनामा पर अपने हस्ताक्षर बताये हैं। उक्त साक्षी हालांकि प्र0पी0—4 लगायत 13 तक के दस्तावेजों का भी पंच साक्षी है। जैसा कि घटना के विवेचक निरीक्षक शिवसिंह यादव अ०सा0—14 ने अपने अभिसाक्ष्य में बताया है। किन्तु प्र0पी0—4 लगायत 13 के संबंध में अभियोजन की ओर से उसकी साक्ष्य नहीं कराई गई है किन्तु इस आधार पर अन्य साक्षियों की अभिसाक्ष्य निरर्थक या अग्राह्य नहीं मानी जा सकती है। शिनाख्ती के संबंध में आगे विश्लेषण किया जावेगा।
- 15. लूट की घटना के संबंध में आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपने विस्तृत मौखिक अंतिम तर्कों में एक जैसे आधार लेते हुए यह बताया है कि आरोपीगण निर्दोष हैं उनके द्वारा कोई लूट की घटना नहीं की गई है उन्हें पुलिस द्वारा शासकीय सेवक के साथ लूट की घटना घटित होने के कारण अपने कर्त्तव्य को सही दर्शाने के आशय से झूंटा मामला बना दिया है क्योंकि सुनील और रविकांत की कोई

पहचान की कार्यवाही नहीं हुई है और एफ0आई0आर0 में ही केवल एक व्यक्ति को फरियादिया ने पहचान लेने की बात बताई थी जिसने कट्टा अड़ाकर बैग छीना था। अनुसंधान स्तर पर केवल राहुल की ही पहचान की कार्यवाही कराना बताया है किन्तु पहचान की कार्यवाही दूषित है क्योंकि फरियादिया थाने पर पहचान बताती है। जो माल जप्त होना बताया गया है उसकी पहचान भी दूषित है क्योंकि उसे भी थाने पर पहुंचना कहा गया है। डांक बंगले पर पहचान की कार्यवाही नहीं हुई है और पहचान के संबंध में अभियोजन के साक्षियों के संबंध में ही विरोधाभाष है। लूट की घटना फरियादिया ने क्षणिक अवधि में हो जाना बताया है। ऐसे में वह कैसे आरोपियों को न्यायालय में पहचान रही है। इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। संभवतः न्यायालय में तारीख पेशी पर आरोपीगण के आते जाते देखने के आधार पर और पुलिस से मिली भगत के चलते फरियादिया ने पहचान की है। इसलिये उस पहचान का कोई विधिक मूल्य नहीं है और उससे घटना संदिग्ध है जिसका आरोपीगण लाभ पाने के पात्र हैं। यह तर्क भी किया गया है कि जो रूपये जप्त बताये गये हैं उनकी कोई विशिष्ट पहचान नहीं है। रूपये किसी के पास भी हो सकते हैं तथा जो बैग और मोबाईल पहचानना बताया है वैसे बैग और मोबाईल बाजार में आसानी से उपलब्ध हैं। मोबाईल में जिस सिम का डला होना फरियादिया ने बताया है उसका कोई उपयोग बताई गई लूट की घटना के बाद हुआ हो, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। कोई कॉल डिटेल प्रमाणित नहीं है। ई०एम०ई०आई० नंबर से जो मिलान कराया गया है वह भी प्रमाणित नहीं है तथा सिम किसके नाम पर है इस बारे में कोई साक्ष्य नहीं दी गई है। सिम का उपयोग किसी आरोपी ने किया हो, ऐसा भी साक्ष्य नहीं है तथा कोई टॉवर लोकेशन का प्रमाण संकलित नहीं किया गया है। इससे आरोपियों को गलत तरीके से पकडकर थाने पर बैठाकर दस्तावेजों की लिखापढी असत्य रूप से करते हुए झूंठा मामला बनाया गया है। ऑटा चालक या अन्य किसी से भी समर्थन नहीं है किसीन ने घटना नहीं देखी है और सरपंच कालीचरण जप्ती, मेमोरेण्डम और गिरफ़तारी पत्रकों का द्वारा माल की पहचान की कार्यवाही कराई गई है इससे भी वह दूषित हो जाती है। भी साक्षी है उसके

- आरोपी रविकांत के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया है कि उससे केवल 500रूपये का नोट बरामद होना बताया गया है लेकिन वह फरियादिया का है इसका कोई प्रमाण नहीं है। क्योंकि उसकी कोई विशिष्ट पहचान नहीं बताई गई है और जप्ती, गिरफ्तारी व मेमोरेण्डम की जो समयावधि है वह भी इस बात की ओर ही इशारा करती है कि पूरी कार्यवाही थाने पर बैठकर मनमाने तरीके से कर ली गई है तथा रविकांत ओर सुनील की पहचान की कोई कार्यवाही नहीं हुई है। एफ0आई0आर0 में लूट करने वालों का कोई हुलिया नहीं बताया गया है इसलिये किस आधार पर राहुल की पहचान सही मानी जावे इसका कोई आधार ही नहीं है जिससे आरोपीगण के विरूद्ध मामला संदिग्ध हो जाता है और उन्हें संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जावे। जबकि विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा अपने तर्को में यह बताया गया है कि अभिलेख पर कथानक अनुसार सुदृढ़ और स्पष्ट स्वाभाविक रूप की विश्वसनीय साक्ष्य आई है जिससे आरोपीगण के द्वारा ही फरियादिया विनीता सरल के साथ लूट की घटना कारित किया जाना प्रमाणित हो जाता है और जो विरोधाभाष उत्पन्न हुए हैं वे भी गंभीर और तात्विक नहीं हैं। थाना व डांक बंगला पास पास में ही लगे हुए हैं इसलिये थाने पर पहचान की कार्यवाही बता दी गई थी उसका कोई अन्यथा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है और मामला पूरी तरह से प्रमाणित है तथा आरोपी राहुल के द्व ारा घटना में अवैध कट्टे का भी इस्तेमाल किया गया है। रविकांत और सुनील मोटरसाईकिल सहित सहयोगी की भूमिका में हैं और उनके पास से लूट की वस्तुएं बरामद हुई हैं। इसलिये कोई संदेहजनक मामला नहीं है। अतः आरोपीगण को कड़ा दण्ड दिया जावे।
- 17. टी0आई० शिवसिंह यादव अ०सा0—14 ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 04.07.15 को थाना प्रभारी थाना मालनपुर के पद पर पदस्थ रहते हुए श्रीमती विनीता सरल के द्वारा तीन अज्ञात बदमाश मोटरसाईकिल सवारों के विरुद्ध लूट की घटना की रिपोर्ट लिखाये जाने पर प्र0पी0—1 की एफ0आई0आर0 दर्ज करना बताया है जिसमें लूट की घटना हॉटलाईन फैक्ट्री के पीछे लहचूरा की ओर पुलिया के पास एक मोटरसाईकिल से तीन लोगों के द्वारा आकर बैग, मोबाईल और 1200रूपये की लूट करना बताया गया है। एफ0आई0आर0 के पश्चात उसने फरियादिया की निशादेही पर घटनास्थल पर जाकर प्र0पी0—2 का नक्शामौका तैयार करना और फरियादी विनीता सरल एवं साक्षी जगराम हिण्डोलिया, मंजुलता, विनीता,

श्यामिसंह भदौरिया और कालीचरण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध करना बताया है। तत्पश्चात साईवर सेल शाखा भिण्ड को मोबाईल फोन की ई0एम0ई0आई0 नंबर सर्च करने हेतु आवेदन पत्र भिजवाना, साईवर सेल से सी0डी0आर0 रिपोर्ट प्राप्त होना आर उससे लूटा गया मोबाईल फोन आरोपी सुनील के द्वारा अपने नाम की सिम डालकर उपयोग किया जाना पाया गया था जिसके आधार पर सुनील और उसके साथियों की तलाश की गई थी। उन्हें पकड़ा गया था और उनसे पूछताछ की गई थी जिस पर से लिये गये मेमोरेण्डम कथन कमशः प्र0पी0—8 लगायत 10 में दी गई जानकारी के आधार पर उसने आरोपी राहुल से कत्थई रंग का रैगजीन का बैग, 500रूपये का नोट बरामद करना प्र0पी0—11 द्वारा बताया गया है। सुनील से नोकिया मोबाईल फोन प्र0पी0—12 के द्वारा जप्त करना, रिवकांत से 500रूपये का नाया नोट जप्त प्र0पी0—13 के अनुसार जप्त करना बताया है। तथा प्र0पी0—5 लगायत 7 के गिरफ्तारी पत्रकों द्वारा गिरफ्तारी कर गिरफ्तारी पत्रक बनाना बताया है।

- सी0डी0आर0 के संबंध में अभियोजन की ओर से साईवर सैल में पदस्थ आरक्षक आनंद दीक्षित को अ0सा0–10 के रूप में पेश किया गया है जिसने यह अभिसाक्ष्य दी है कि दिनांक 19.02.12 से वह पुलिस अधीक्षक कार्यालय भिण्ड में साईवर सेल में पदस्थ है। थाना मालनपुर के अप०क०–111/15 की घटना से संबंधित लूटे गये मोबाईल फोन सिम नंबर-9926546903 की सी0डी0आर0 एवं ई0एम0ई0आई0 नंबर के आधार पर थाना प्रभारी मालनपुर की ओर से भेजे गये पत्र दिनांक 05.07.15 के आधार पर उसने उक्त सिम नंबर की सी0डी0आर0 प्राप्त की थी जिसका ई0एम0ई0आई0 नंबर–359000055106300 सर्च किया गया था। उक्त ई०एम०ई०आई० फरियादी द्वारा दस बजकर पचपन मिनट तक घटना दिनांक 04.07. 15 को उपयोग किया गया था और उसके बाद की समयावधि में सर्च किय जने पर मोबाईल में सिम नंबर-9417138442 का उपयोग किया जाना पाया गया था जो सिम सुनील पुत्र प्रहलाद निवासी-128 ग्राम पाली तहसील गोहद का होना पाया गया था जिसकी सी०डी०आर० रिपोर्ट उनके कार्यालय में संचालित कम्प्युटर से प्रिन्ट निकालकर आर्टिकल ए एवं बी के रूप में पेश की गई है। जो कम्प्युटर जनरेटेड मोबाईल द्वारा प्रदाय की जाती है। सी०डी०आर० रिपोर्ट के सत्यापन के संबंध में उसने प्र0पी0—15 का प्रमाण पत्र देना बताया है जिस पर उसके भी हस्ताक्षर हैं और पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के भी हस्ताक्षर बताये हैं और उनकी पहचान की है। जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–65 (ख) के अंतर्गत प्रमाणीकरण प्र0पी0–16 का तैयार किया जाना साक्षी ने बताया है। यह स्वीकार किया है कि फरियादिया विनीता के द्वारा जो सिम नंबर–9926546903 बताई गई थी उसकी जानकारी नहीं मिली थी कि वह किसके नाम पर है। लेकिन यह स्पष्ट किया है कि सी0डी0आर0 रिपोर्ट में कंपनी भी छेडछाड नहीं कर सकती है और उसका मेल भी बंद अवस्था में आता है। उसे अन्य कोई खोल नहीं सकता है तथा बातचीत की वॉइस रिकॉर्डिंग तभी हो सकती है जब पहले से रिकॉर्डिंग कराई जावे, नियमित तौर पर नहीं होती है।
- 19. इस प्रकार से अभिलेख पर जो अभियोजन की साक्ष्य है, उसके खण्डन में आरोपीगण की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी है और उन्होंने धारा—313 दप्रसं के तहत निर्दोष होना बताते हुए झूंठा फंसाये जाने का आधार लिया है। तथा सुनील के द्वारा यह भी कहा गया है कि उसकी कोई सिम नहीं थी किसी ने फर्जी तौर से उसके नाम की सिम ली होगी तथा उससे कोई जप्ती नहीं हुई है न ही उसने उपयोग किया है।
- 20. यह सही है कि दाण्डिक मामलों में प्रमाण भार अभियोजन पर होता है। बचाव पक्ष की कमजोरी का अभियोजन पक्ष को लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है और यह सुस्थापित विधि है कि जब तक आरोपी दोषी सिद्ध न हो जावे तब वह निर्दोष माना जाता है। जैसा कि न्याय दृष्टांत विजयसिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ यू0पी0 ए0आई0आर0 1990 सुप्रीमकोर्ट पेज—1459 में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। यह भी सुस्थापित दाण्डिक विधि है कि अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है जो इस प्रकरण में लागू होगा। जैसा कि न्याय दृष्टांत .प्रहलाद वि0 म0प्र0 राज्य आई0एल0आर0 2011 एम0पी0 पेज 489 में सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। इसलिये विचाराधीन मामले में भी मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन पर ही है। और यह देखना होगा कि क्या मूल घटना अभियोजन की साक्ष्य से प्रमाणित होती है या नहीं। क्योंकि माननीय

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत वामन एवं अन्य विरुद्ध स्टेट ऑफ महाराष्ट्र (2007) वोल्यूम-7 एस0सी0सी0 पेज-295 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि मूल घटना प्रमाणित होती हो तो विरोधाभाष कोई महत्व नहीं रखते हैं।

- 21. प्रकरण में पटवारी बदनसिंह अ०सा०—9 के द्वारा घटनास्थल का नजरीय नक्शा प्र०पी०—15 तैयार करना बताया है। प्र०पी०—15 के अवलोकन से खण्डन के अभाव में यह स्पष्ट होता है कि कथानक में बताया गया घटनास्थल हॉटलाईन मिल्कोज के सामने से लहचूरा पुरा वाली सड़क तहसील गोहद के पटवारी हलका नंबर—27 के अंतर्गत आता है। अर्थात् वह भिण्ड जिले का ही भाग है। ऐसे में घटनास्थल मध्यप्रदेश एम०पी०डी०व्ही०पी०के० एक्ट की धारा—3 के अंतर्गत प्रसारित अधिसूचना कमांक—एफ— 91.07.81 बी—21 दिनांक 19.05.1981 की अनुसूची के कॉलम कमांक—2 के अंतर्गत आना प्रमाणित होता है। प्र०पी०—2 के रूप में पुलिस द्वारा जो नजरीय नक्शा घटनास्थल का बनाया गया है उससे भी प्र०पी०—15 का मिलान होता है जिससे श्रीमती विनीता सरल अ०सा०—1 एवं टी०आई० शिवसिंह यादव अ०सा०—14 ने प्रमाणित किया है जिससे घटनास्थल थाना मालनपुर के अंतर्गत होकर डकैती प्रभावित क्षेत्र होना स्थापित होता है।
- 22. प्र0पी0—1 की एफ0आई0आर0 के वृतांत में श्रीमती विनीता सरल को शा0प्रा0वि0 लहूचरा के पुरा में सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ होते हुए अपने कर्त्तव्य पर जाते समय रास्ते में लूट की घटना होना बताया गया है जिसके संबंध में फिरयादिया श्रीमती विनीता सरल अ0सा0—1 ने भी पुष्टि की है और उसका समर्थन चरनिसंह अ0सा0—2, सरपंच कालीचरण अ0सा0—4, अन्य सहायक अध्यापिका श्रीमती मंजूलता अ0सा0—5, श्यामिसंह भदौरिया अ0सा0—6 और प्र0अध्यापक जगराम अ0सा0—7 के अभिसाक्ष्य से भी होती है जिससे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि घटना दिनांक 04.07.15 को शनिवार का दिन होकर कार्यदिवस था। विद्यालय खुला था और फिरयादिया शिक्षण कार्य के लिये जा रही थी। तब रास्ते में हॉटलाईन फैक्ट्री से लहचूरा की तरफ पैदल जाते समय पुलिया के पास एक मोटरसाईकिल पर तीन लोगों के द्वारा आकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया जिसमें दो लड़के मोटरसाईकिल पर ही रहे। एक ने उत्तरकर फिरयादिया के सामने छाती की तरफ कट्टा अड़ाकर उसका बैग छीन लिया जिसमें दो मोबाईल फोन, 1200रूपये, दो छायाचित्र एवं वोटर आई0डी0 की छायाप्रति रखे हुए थे।
- फरियादिया ने न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में तीनों आरोपियों की पहचान लूट करने वालों में 23. बताई है। उसने यह भी स्पष्ट किया है कि आरोपीगण मुंह नहीं बांधे थे। जैसा कि पैरा–7 में दिये गये सुझाव को खण्डित किया है। ऐसे में भले ही लूट की घटना क्षणिक हुई हो लेकिन लूट करने वालों को वह पहचान सकती है क्योंकि उसने उन्हें साक्षात देखा होगा। इसलिये केवल राहल की शिनाख्ती की कार्यवाही पुलिस द्वारा कराई जाना, शेष दोनों की न कराये जाने का प्रतिकृत प्रभाव अभियोजन के मामले पर नहीं माना जा सकता है। यह इसलिये भी नहीं माना जा सकता है कि रिपोर्ट अज्ञात में थी। रिपोर्ट में लूट करने वालों का कोई हुलिया आदि का उल्लेख भी नहीं है। केवल बीस से पच्चीस वर्ष की उम्र वर्ग के लूट करने वाले बताये गये थे। जैसा कि साक्षिया ने कथनों में भी बताया है और आरोपीगण उसी आयू वर्ग के हैं। क्योंकि वह राहुल ने स्वयं अपनी उम्र 22 वर्ष तथा रवि और सुनील ने 20 वर्ष बताई है। न्यायालय द्वारा राह्ल की उम्र 24 वर्ष, रविकांत की उम्र 23 वर्ष और सुनील की 22 वर्ष धारा–313 दप्रसं के तहत परीक्षण करते समय आंकलित की गई है। दोनों ही स्थितियों में आरोपीगण बीस से पच्चीस वर्ष की आयु वर्ग के ही निर्विवादित रूप से हो जाते हैं तथा प्रकरण में आरोपीगण को केवल पहचान के आधार पर ही अभियोजित नहीं किया गया है बल्कि फरियादिया का जो मोबाईल फोन लूट की घटना में लूटा गया था उसकी आई०एम०ई०आई० नंबर के आधार पर साईवर सैल द्वारा की गई सर्च के आधार पर आरोपी बनाया गया है। क्योंकि सर्च के दौरान उक्त मोबाईल फोन से आई०एम०ई०आई० के आधार पर जिस सिम का उपयोग हो रहा था वह आरोपी सुनील के नाम पर जारी थी। जिसका सिम नंबर–9617138442 बताया गया है।
- 24. सी0डी0आर0 प्रकरण में पेश की गई है और धारा—65 (ख) भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत उसके संबंध में प्रमाणीकरण भी दिया गया है तथा साईवर सैल के संबंध में साक्षी आरक्षक आनंद दीक्षित जिसकी हैसियत कम्प्युटर विशेषज्ञ के रूप में है, क्योंकि उसने उसी रूप में सी0डी0आर0 प्राप्त

करके प्रकरण में पेश की है और उसे प्रमाणित किया है तथा सुनील को उक्त सी०डी०आर० के आधार पर ही तलाशा गया । फिर सुनील से अनुसंधान के दौरान की गई पूछताछ में धारा—27 साक्ष्य विधान के तहत जो जानकारी पुलिस को उपलब्ध हुई, उसके आधार पर अन्य आरोपीगण को पकड़ा गया था और फिर उनसे बरामदगी हुई।

25. धारा—27 साक्ष्य विधान के उपबंध मुताबिक— अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी— परन्तु जब किसी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से, जो पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में हो, प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप उसका पता चल जाता है, तब ऐसी जानकारी में से, चाहे वह संस्वीकृति की कोटि में आती हो या नहीं, जितनी ऐतद द्वारा पता चले हुए तथ्य से स्पष्टतया संबंधित है, साबित की जा सकेगी।

26. साक्ष्य विधान की धारा-27 के निम्नलिखित महत्वपूर्ण अंग हैं:-

- 1. सूचना देने वाला व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त होना चाहिए।
- 2. उसका पुलिस की अभिरक्षा में होना चाहिए।
- 3. उस व्यक्ति के द्वारा दी गई जानकारी के परिणामस्वरूप किसी सुसंगत तथ्य का पता लगना चाहिए।
- 4. पता चले हुए तथ्य से स्पष्टतया संबंधित भाग को साबित किया जा सकता है।
- 5. 💉 चाहे वह भाग संस्वीकृति की कोटि में आता हो या नहीं।

27. धारा—27 साक्ष्य अधिनियम के तहत जो पांच महत्वपूर्ण अंग बतलाये गये हैं उसके प्रथम अंग में किसी अपराध का अभियुक्त कोई व्यक्ति होना, द्वितीय अंग में उसका पुलिस अभिरक्षा में होना बताया गया है किन्तु माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ द्वारा न्याय दृष्टांत स्टेट ऑफ यू०पी० विरुद्ध देऊमन उपाध्याय ए०आई०आर० 1960 सुप्रीमकोर्ट पेज—198 में यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त प्रावधान के तहत सूचना देते समय संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कोई औपचारिक अभियोग हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। धारा—27 साक्ष्य विधान के तृतीय अंग के रूप में दी गई जानकारी में सुसंगत तथ्य का पता चलना चाहिए। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत स्टेट ऑफ महाराष्ट्र विरुद्ध दामो गोपीनाथ शिन्दे ए०आई०आर० २००० एस०सी० पेज—1651 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि उक्त प्रावधान मूल रूप से पश्चातवर्तीय घटना द्वारा पुष्टिकरण के सिद्धान्त पर आधारित है। अभियुक्त द्वारा दी गई सूचना के आधार पर यदि किसी सुसंगत तथ्य का पता लगता है तो यह सूचना के सत्य होने की गारंटी होती है क्योंकि जिस स्थान से वस्तु की बरामदगी होती है उसका ज्ञान अभियुक्त को ही होता है। ऐसा उपधारित होगा। न्याय दृष्टांत सलीम अख्तर विरुद्ध स्टेट ऑफ यू०पी०(२००३) 5 एस०सी०सी० 499 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि उक्त प्रावधान के अंतर्गत दिये जाने वाले कथन का उतना भाग ही साक्ष्य में ग्राह्य योग्य होगा जिससे किसी सुसंगत तथ्य का पता लगता है।

28. प्र0पी0—5 लगायत 13 के दस्तावेजों के संबंध में कालीचरण अ0सा0—4 के द्वारा स्पष्ट समर्थन करते हुए विवेचक शिवसिंह यादव अ0सा0—14 के अभिसाक्ष्य की पुष्टि की गई है जिसने उक्त कार्यवाही करना बताया है और कालीचरण के अभिसाक्ष्य पर प्र0पी0—5 लगायत 13 के संबंध में अविश्वास किये जाने का कोई भी कारण अभिलेख पर नहीं है। क्योंकि उसकी किसी भी आरोपी से किसी भी तरह की कोई बुराई या रंजिश नहीं है। उसके अभिसाक्ष्य में केवल माल की शिनाख्ती के संबंध में अवश्य विरोधाभाष प्रकट हुआ किन्तु यह उल्लेखनीय है कि थाना मालनपुर और मालनपुर स्थित डांक बंगला दोनों ही परिसर एक दूसरे से लगे हुए बताये गये हैं जिसका कोई खण्डन भी बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। इसलिये पहचान स्थल के संबंध में जो विरोधाभाष उत्पन्न हुए हैं कि विनीता स्वयं थाने पर माल की पहचान करना बताती है और सरपंच कालीचरण डांक बंगले पर बताता है। उसमें विरोधाभाष की स्थिति उक्त परिस्थिति में नहीं मानी जा सकती है। तथा जहाँ प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध हो, वहाँ ऐसे विरोधाभाष गौण हो जाते हैं और उन्हें विशेष महत्व नहीं दिया जा सकता है।

29. अभिलेख पर फरियादिया श्रीमती विनीता सरल द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में प्र0पी0—1 की

एफ0आई0आर0 के वृतांत की पूर्णतः सकारात्मक रूप से पुष्टि की गई है और उसके अभिसाक्ष्य में प्रतिपरीक्षण के दौरान ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है कि जिससे यह माना जा सके कि लूट की घटना वास्तव में उसके साथ घटित ही नहीं हुई बिल्क बचाव पक्ष की ओर से पैरा—7 में दिया गया यह सुझाव कि उसके साथ किन्हों अन्य आरोपियों के द्वारा लूट की घटना कारित की गई हो जिससे वह इन्कार करती है। इससे अप्रत्यक्षक रूप से स्वयं बचाव पक्ष की ओर से यह स्वीकार किया गया है कि लूट की घटना तो घित हुई है किन्तु उन्होंने नहीं की। जहाँ कोई तथ्य स्वीकार कर लिया जाता है। जैसा कि हस्तगत मामले में फिरयादिया के साथ लूट होना अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया गया है, ऐसे में लूट की घटना आरोपीगण से भिन्न किन्हीं व्यक्तियों के द्वारा की गई, इसका प्रमाण भार अभियुक्तों पर चला जाता है। किन्तु उनकी ओर से इस बिन्दु पर कोई भी साक्ष्य नहीं दी गई है और फिरयादिया का अभिसाक्ष्य प्राकृतिक स्वरूप का है। उसके बारे में यह उपधारणा नहीं बनाई जा सकती है कि पुलिस के कहने पर वह साक्ष्य दे रहा है क्योंकि यदि पुलिस के कहने पर उसके द्वारा साक्ष्य दी जाती तो वह शिनाख्ती की कार्यवाही थाने के वजाय आरोपी राहुल की जेल में और जप्त सामान की डांक बंगला पर पहचान होना बताती। इसलिये ऐसा आधार भी स्थापित नहीं होता है और अ०सा0—1 की अभिसाक्ष्य का समर्थन अ०सा0—2 एवं अ०सा0—4 लगायत 7 की अभिसाक्ष्य से भी होता है

- 30. इस प्रकार इस बात की दृढ़ता से पुष्टि हो जाती है कि दिनांक 04.07.15 को सुबह करीब 10.45 बजे जब फरियादिया श्रीमती विनीता सरल शा0प्रा0वि0 लहचूरा के पुरा में विद्या अध्यापन के लिये अकेली जा रही थी तब हॉटलाईन फैक्ट्री से आगे पुलिया के पास लहचूरा की ओर जाने पर रास्ते में एक मोटरसाईकिल पर तीन लोगों के द्वारा आकर उनमें से एक के द्वारा कट्टा अड़ाकर उसका बैग छीना गया जिसमें उसका नोकिया मोबाईल काले सफेद रंग का, 1200रूपये जिनमें पांच पांच सौ के एवं सौ सौ के दो दो नोट थे तथा फोटो और वोटर आई0डी० की छायाप्रति सिहत लूट कि घटना उन्होंने स्वयं नहीं देखी, स्वाभाविक है क्योंकि वे सभी बाद में पहुंचे हैं और लूट की घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी सामान्य तौर पर होता भी नहीं है न ही अभियोजन के कथानक में बताया गया है। इसलिये उपलब्ध उक्त साक्ष्य के आधार पर फरियादिया के साथ लूट की घटना सुसंगत घटना दिनांक समय व स्थान पर होना और तीन लोगों के द्वारा कारित किया जाना युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होता है। अब यह देखना होगा कि क्या उक्त लूट की घटना आरोपीगण के द्वारा ही अंजाम दी गई है या नहीं?
- जहां तक यह प्रश्न है कि उक्त फरियादिया श्रीमती विनीता सरल के साथ कारित हुई उक्त लूट की घटना किसके द्वारा कारित की गयी है, इस संबंध में अभिलेख पर स्वयं श्रीमती विनीता सरल अ.सा.—1 ने आरोपीगण के द्वारा ही घटना कारित करना बताया है जिसमें उसने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि आरोपी राहुल के द्वारा उसको कटटा अडाकर बैग छीना गया था और अन्य आरोपीगण का मोटरसाइकिल स्टार्ट करके कहीं खड़े रहकर सहयोग किया गया और उसने राहुल की पहचान करना भी बताया हालांकि वह थाने पर पहचान करना बताती है जबकि प्रदर्श पी.-03 शिनाख्ती पत्रक मुताबिक उपजेल गोहद में पहचान होना बतायी गयी है और उपजेल गोहद में शिनाख्ती की कार्यवाही करायी जाना नायब तहसीलदार वंदना बघेल अ.सा.-3 के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में बताते हुए दिनांक-3/8/15 को दोपहर 1:05 बजे से 1:30 के दरिम्यान फरियादी विनीता से आरोपी राहुल की पहुँचान करायी जाना और उसने उसके द्वारा राहुल के सिर पर हाथ रखकर पहचान करना बताया है जिसमें 6 अन्य बंदियों को भी पहचान परेड में शामिल किया गया था। प्र.पी.—3 का शिनाख्ती पंचनामा उक्त नायब तहसीलदार द्वारा अपनी हस्तलिपि में तैयार करना कहा है, जिसके द्वारा कार्यपालिक दण्डाधिकारी की हैसियत से उक्त कार्यवाही की जाना बतायी गयी है । अ.सा.-3 के अभिसाक्ष्य में अन्यथा कोई विसंगति उत्पन्न नहीं हुई है, केवल फरियादिया ने पहचान की कार्यवाही थाने पर और पुलिस की उपस्थिति में बतायी है । एफ आई आर प्रदर्श पी.-1 में लूट कारित करने वालों की कद काठी हुलिया का विवरण नहीं है । इससे पहचान के संबंध में फरियादिया का स्पष्टतः समर्थन न होने से अन्य साक्ष्य को भी मूल्यांकन में लेना होगा । और इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि जेल में पहचान की कार्यवाही होने का जेल के अभिलेख में इन्द्राज होता है तथा अभियुक्त की पहचान परेड न्यायिक निरोध में

रहते हुए ही करायी जाती है इसलिये फरियादी के थाने पर पहचान बताने की बात को अन्य प्रबल प्रमाण होने से अवश्य नहीं माना जा सकता है और यही उपधारित होगा कि राहुल की पहचान की कार्यवाही उपजेल गोहद में हुई थी और फरियादिया श्रीमती विनीता सरल द्वारा आरोपीगण की पहचान न्यायालय में भी की गयी है।

- लूट डकैती जैसी घटनाओं के संबंध में अभियुक्तों का आशय और तैयारी को परिस्थितिजन्य साक्ष्य से सिद्ध किया जा सकता है इस संबंध में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृ0 **कपिल देव डोम** वि0 स्टेट ऑफ बिहार 1977 सी.आर.एल.जे. (एन.ओ.सी.) 137 में सिद्धांत प्रतिपादित किया है। इस प्रकरण में भी जो घटना बतायी गयी है, उसमें एक मोटरसाइकिल पर तीन लडकों के द्वारा आकर रास्ते में जाते समय अचानक पुलिया के पास फरियादिया विनीता सरल को रोककर उससे बैग छीनकर ले जाना बताया गया है तथा तीन अज्ञात लोगों के विरूद्ध एफ आई आर दर्ज हुई थी और घटना में फरियादिया का मोबाइल भी लूटा गया, जिसमें सिम क्रमांक-9926546903 आईडिया कंपनी की पडी होना बतायी है, उसके आधार पर साइबर सैल में आई.एम.ई.आई. नंबर के आधार पर सर्चिंग की गयी और उसमें आई.एम.ई.आई. नंबर के आधार पर आरोपी सुनील के नाम की सिम क्रमांक—9617138442 का उपयोग होने के आधार पर आईडिया सेल्यूलर लिमिटेड से प्राप्त की गयी सी.डी.आर. रिपोर्ट के आधार पर सुनील को पकडा गया उसके कब्जे से फरियादी का मोबाइल जब्त हुआ तथा सुनील द्वारा दी गयी जानकारी के आधार पर अन्य अभियुक्तगण राहुल व रविकांत को पकडा गया है । उक्त परिस्थिति आरोपीगण के ही लूट कारित करने वाले अभियुक्तों की ओर अभियोजन के मामले को दृढता प्रदान करती है । जो आर्टीकल–ए के रूप में कॉल डिटेल पेश हुई है वह आरोपी सुनील से संबंधित है और दिनांक-04 / 07 / 2015 के रात 10:02 मिनट से लेकर दि0-05/07/2015 के 11:39 बजे के मध्य सुनील के नाम की सिम का उपयोग हुआ है । सुनील की ओर से इस बात का खण्डन नहीं किया गया है कि सिम क्रमांक-9617138442 कोई और कैसे प्राप्त कर सकता है, जबकि आर्टीकल-ए में इस बात का भी विवरण है कि उक्त आईडिया कंपनी की सिम भारत निर्वाचन आयोग मतदाता परिचय पत्र को पते का प्रमाण मानकर उसके आधार पर सिम जारी की गयी थी, तथा आरोपी के निवास का पता भी उसमें दर्शित है और स्वीकृत तौर पर आरोपी सुनील ग्राम पाली का ही निवासी है । जिसका कोई खण्डन नहीं है इसलिये बचाव पक्ष का यह तर्क और आधार स्वीकार नहीं किया जा सकता कि किसी और ने उसके नाम से सिम प्राप्त कर ली होगी, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है । इसलिये फरियादिया विनीता सरल द्वारा अपने मोबाइल में जो सिम क्रमांक—9926546903 का स्वयं उपयोग करना बताया है, उसमें उसका संबंधित आईडिया सेल्युलर लिमि० से प्रमाणीकरण प्राप्त न करने का प्रतिकुल प्रभाव नहीं माना जा सकता है ।
- 33. प्र.पी.—16 की साइबर सैल की रिपोर्ट एवं प्र.पी.—17 का प्रमाणीकरण जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा—65 बी के नवीन प्रावधानों के तहत प्राप्त की गयी है, जिसे अ.सा.—10 के द्वारा प्रमाणित किया गया और उसका कोई खण्डन नहीं है उससे उक्त लूट की घटना आरोपीगण द्वारा कारित की जाना प्रमाणित माने जाने के खण्डन के अभाव में सुदृण आधार हैं और यह बिन्दु भी उक्त स्थिति में गौड हो जाता है कि सिम की लोकेशन का प्रमाणीकरण नहीं लिया गय है जैसा कि विवेचक शिवसिंह अ.सा.—14 ने पैरा—16 में स्वीकार किया है । इसलिये उसके आधार पर किसी प्रकार का संदेह नहीं माना जा सकता है।
- 34. घटना में एक मोटरसाइकिल का भी उपयोग किये जाने का तथ्य आया है हालांकि मोटरसाइकिल किसकी थी, कैसी थी इस बारे में साक्ष्य का संकलन नहीं हुआ है । एफ आई आर प्र.पी.—1 में प्रयुक्त मोटरसाइकिल काले रंग की बतायी गयी जिसका नंबर फिरयादिया ने नहीं देख पाया था जो कि स्वाभाविक है और मोटरसाइकिल के संबंध में फिरयादिया विनीता सरल अ.सा.—1 से कोई प्रश्न भी साक्ष्य के दौरान नहीं किए गये हैं । अनुसंधान स्तर पर एक मोटरसाइकिल प्र.पी.—18 की जब्ती पत्रक मुताबिक काले रंग की पल्सर आरोपी राहुल से पेश करने पर दिनांक—13/07/2015 को जब्त की जाना विवेचक शिवसिंह यादव अ.सा.—14 ने पैरा—08 में बताया है और प्र.पी.—18 के संबंध में विवेचक से प्रतिपरीक्षा में अन्य कोई तथ्य भी नहीं पूछे गये हैं इसलिये यह तथ्य कि लूट करने वाले जिस मोटरसाइकिल से आये थे वह काले रंग की थी इस बारे में तो फिरयादिया विनीता सरल का समर्थन प्राप्त है । प्र.पी.—18 का खण्डन नहीं हुआ है और

प्र.पी.–18 के संबंध में आरक्षक शिववीर सिंह अ.सा.–13 ने विवेचक की कार्यवाही का समर्थन किया है।

- 35. जब्त मोटरसाइकिल का पंजीकृत स्वामी कौन है, इस बारे में अवश्य कोई साक्ष्य का संकलन नहीं हुआ है जैसािक अ.सा.—13 व 14 के अभिसाक्ष्य से स्पष्ट है और मोटरसाइकिल आरोपी राहुल से जब्त करना बतायी है तथा राहुल के घर के दरवाजे पर रखी होना भी अ.सा.—13 ने बताया है । उसकी अभिसाक्ष्य में भी खण्डन नहीं हुआ है तथा जहां यह भी उल्लेखनीय है कि न्यायालय का अभिलेख लोक दस्तावेज की श्रेणी में आता है और उसका न्यायिक नोटिस लिया जा सकता है । मोटरसाइकिल के संबंध में अभिलेख पर जो सामग्री उपलब्ध है, उससे मोटरसाइकिल के संबंध में यह स्थिति स्थापित हो जाती है कि प्र.पी.—18 के माध्यम से जो मोटरसाइकिल जब्त हुई उसका पंजीकृत स्वामी आरोपी राहुल धानुक ही है क्योंकि उसके द्वारा न्यायालय से उक्त मोटरसाइकिल क0—एम.पी.—30 एम.एफ.—1591 को सुपुर्दगी पर पंजीकृत स्वामी की हैसियत से प्राप्त की है। यह परिस्थित भी अभियोजन के मामले को विधिक बल देती है । जिससे भी आरोपीगण के द्वारा घटना कारित किए जाने के आक्षेप को बल मिलता है। और आरोपीगण के द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि घटना दि0—4/7/15 के सुबह 10:45 बजे यदि वे घटनास्थल पर नहीं थे तो कहा थे, उन्होंने अपनी ओर से भी सुझाव या साक्ष्य के माध्यम से अपनी अन्यत्र उपस्थित भी नहीं बतायी है । इसलिय अभियोजन की साक्ष्य स्वीकार योग्य ही मानी जायेगी । इससे भी शिनाख्ती के बिन्दु पर उत्पन्न विरोधाभास भी महत्वहीन हो जाता है और आरोपी राहुल के अलावा अन्य आरोपीगण की शिनाख्ती की कार्यवाही का कोई दुष्प्रभाव नहीं माना जा सकता है।
- जहां तक यह प्रश्न उठाया गया है कि प्र.पी.-05 लगायत- पी.-13 की कार्यवाही एक ही दिन की है और तीनो आरोपीगण को अलग अलग दिशाओं से अलग अलग स्थानों से पकडना बताया है जो संभव नहीं है इसलिये थाने पर बैठकर गलत तरीके से कार्यवाही की जाना माना जाये । इस बिन्द् पर साक्ष्य और परिस्थितियों का विश्लेषण किया जाये तो विवेचक शिवसिंह अ.सा.–14 के द्वारा पैरा–17 में यह अवश्य स्वीकार किया गया है कि तीनों आरोपीगण की गिरफतारी, मेमोरेण्डम और जब्ती की कार्यवाही एक ही दिन की है और उनके गिरफतारी स्थल के मध्य करीब 80 किलोमीटर का अंतराल है । किन्तु इसके आधार पर ही कार्यवाही थाने पर बैठकर पूरी तरह से कर ली जाना इस कारण नहीं माना जा सकता है कि विवेचक ने कार्यवाही के संबंध में रवानगी वापिसी के रोजनामचा सान्हा में इन्द्राज किया जाना और उसकी सत्यापित प्रतियां पेश करना पैरा–11 में बताया है जो कि उसके अधीनस्थ उपनिरीक्षक एम.डी.एस. सेंगर के द्वारा उसके निर्देशन में सत्यापित की गयी थीं । रोजनामचा सान्हा के संबंध में बचाव पक्ष की ओर से कोई आपित्त नहीं की गयी है न सुझाव दिया गया है और आरोपीगण की गिरफतारी को देखा जाये तो तीनों की गिरफतारी दिनांक—13 / 07 / 2015 की अवश्य है । सबसे पहले आरोपी राहल धानुक को उसके गांव ग्राम कचनाव थाना गोरमी से सुबह 10:45 बजे गिरफतार किया गया, जैसा कि प्र.पी.–07 से स्पष्ट है । तत्पश्चात आरोपी सुनील को दोपहर 12:40 बजे ग्राम डिमरन पाली जहां कि उसका घर है, वहां से प्र.पी. –5 अनुसार गिरफतार किया जाना बताया गया है, तत्पश्चात आरोपी रविकांत को दोपहर 02:45 बजे उसके निवास बंसीपुरा मुरार ग्वालियर से गिरफतार किया जाना बताया गया है, अर्थात तीनों ही आरोपियों की गिरफतारी में लगभग 02-02 घण्टे का अंतराल है और विवेचक से इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं लिया गया है कि उसने उक्त समयावधि का कैसे सामंजस्य किया था । वर्तमान में पुलिस के पास वाहनों की उपलब्धता है और वाहनों के माध्यम से अनुसंधान किया जाता है। यदि इस बारे में सुझाव देकर स्पष्टीकरण लिया जाता तो अवश्य स्पष्टीकरण आ जाता इसलिये तीनों आरोपीगण के गिरफतारी स्थलों के मध्य 80 किलोमीटर की दूरी होने मात्र से कार्यवाही दूषित नहीं मानी जा सकती है ।
- 37. विवेचक अ.सा.—14 के द्वारा प्र.पी.—5 लगायत पी.—13 की कार्यवाही में जो समय का उल्लेख किया गया है उससे यह स्पष्ट होता है कि आरोपीगण से पूछताछ कर प्र.पी.—8 लगायत पी.—10 के मेमोरेण्डम कथन पहले लिये गये फिर उनके द्वारा दी गयी जानकारी के आधार पर वस्तुओं की जब्ती प्र.पी.—11 लगायत पी.—13 के माध्यम से की तत्पश्चात गिरफतारी की है, लेकिन ऐसा तथ्य नहीं आया है कि पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ नहीं की गयी है और मेमोरेण्डम कथनों की पुष्टि कालीचरण अ.सा.—4 ने की है जिसकी किसी भी आरोपी से कोई रंजिश या बुराई नहीं है । अभिलेख पर ऐसा भी कोई तथ्य नहीं है

कि कालीचरण आरोपीगण के विरूद्ध किस कारण से साक्ष्य दे रहा है, जो विरोधाभास प्र.पी.—5 लगायत—13 के संबंध में उत्पन्न भी हुए हैं उन्हें तात्विक नहीं माना जा सकता है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता अलग अलग होती है और अलग अलग व्यक्ति एक ही बात को अलग अलग तरह से बताता है । इसिलये उन्हें महत्व नहीं दिया जा सकता है जहां मूल घटना स्थापित हो रही है जैसा कि विचाराधीन मामले में भी है और पुलिस कथनों एवं न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में अ.सा.—01 व 02 तथा अ.सा.—4 लगायत—अ.सा.—7 के कथनों में स्वाभाविक स्वरूप के विरोधाभास घटना को संदिग्ध नहीं बनाते हैं ।

38. जहां तक यह प्रश्न है कि आरोपीगण राहुल व रिवकांत से 500—500 का एक—एक नोट बरामद हुआ उसकी कोई विशेष पहचान नहीं है, न ही जब्ती पत्रकों में सीरियल नंबर का उल्लेख है । इससे भी कोई संदेह नहीं माना जा सकता क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने आधिपत्य में रखने वाले नोटों के सीरियल नंबर याद नहीं रख सकता है। यह सही है कि ऐसे नोट प्रत्येक व्यक्ति पर उपलब्ध हो सकते हैं । किन्तु आरोपीगण से जो नोट बरामद हुए हैं वह उनके स्वयं के द्वारा दी गयी जानकारी के आधार पर और उनके आधिपत्य से जब्त हुए हैं, तथा आरोपी सुनील से तो मोबाइल जब्त हुआ है और राहुल से नोट के अलावा फिरयादिया का बैग भी जब्त हुआ है,जो फिरयादिया को न्यायालय से सुपुर्दगी पर भी दिये गये हैं । यह भी लूट की घटना को कढ़ी के रूप में जोड़ते हैं । इसलिये बचाव पक्ष का यह सुझाव कि पूरी कार्यवाही थाने पर बैठकर गलत तरीके से कर ली है, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है और वस्तुओं की पहचान की कार्यवाही सरपंच से कराया जाना अवैधानिक नहीं है क्योंकि वह जनप्रतिनिधि की श्रेणी में आता है और उससे पहचान कार्यवाही करायी जा सकती है ऐसा आवश्यक नहीं है कि कार्यपालक मजि० से ही वस्तुओं की पहचान कार्यवाही करायी जावे, जिसके संबंध में विवेचक अ.सा.—14 ने पैरा—14 में स्थिति स्पष्ट कर दी है ।

39. विवेचक ने यह अवश्य कहा है कि आरोपीगण के घरों में कितने कमरे हैं और सामान कहां से निकालकर दिया, यह वह नहीं बता सकता । किन्तु इस आधार पर जब्ती की पूरी कार्यवाही को दूषित नहीं माना जा सकता क्योंकि विवेचक ने कमवार तरीक से अपने अभिसाक्ष्य के पैरा—15, 18 में आरोपगण राहुल व सुनील के घरों में जाना और उनके द्वारा घरों के कमरों से सामान निकालकर देने पर जब्त करना बताया है । आरोपी रविकांत के बारे में भी उक्त साक्षी के पैरा—21 में इस सुझाब से इंकार किया गया है कि आरोपी रविकांत थाना मालनपुर अपने रिश्तेदार से मिलने आया था और उसे झूंटे अपराध में फंसा दिया, क्योंकि इस संबंध में रविकांत की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी है कि वह थाना मालनपुर अपने किस रिश्तेदार से किस संदर्भ में मिलने गया था। थाना ऐसा कार्यालय नहीं है कि जहां रिश्तेदार से मिलने के लिए जाया जाये । इसलिये उसकी ओर से दिया गया सुझाव भी बेबुनियाद है और स्वीकार योग्य नहीं है ऐसे में घटना की विवेचना अ.सा.—14 के अभिसाक्ष्य से प्रमाणित होती है जिसकी पुष्टि अन्य परीक्षित साक्षियों ने भी की है ।

40. इस प्रकार से उक्त कमबद्ध तरीके से साक्ष्य तथ्य और परिस्थितियों के विधिक मूल्यांकन करने पर तीनों आरोपीगण का उक्त लूट की घटना को कारित किया जाना युक्ति युक्त संदेह के परे प्रमाणित होता है जिससे विचारणीय बिन्दु कमांक— 1 व 2 प्रमाणित हो जाते हैं तथा यह प्रमाणित पाया जाता है कि आरोपी राहुल धानुक के द्वारा फरियादिया श्रीमती विनीता सरल के साथ दि0—7/7/2015 के सुबह 10:45 बजे के करीब हॉटलाइन फैक्ट्री मालनपुर से लेहचुरा के पुरा जाने वाले रास्ते की पुलिया के पास डकती प्रभावित क्षेत्र में उसे रोककर उसपर घातक आयुध कटटा अडाकर उसका बैग छीनकर लूटा जिसमें अन्य आरोपीगण सुनील व रविकांत के द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में सिक्रय सहयोग कारित किया । फलतः आरोपी राहुल को धारा—397 भा.द.वि. सहपठित धारा—11/13 एम.पी.डी.ब्ही.पी.के. एक्ट 1981 के लिए तथा आरोपीगण सुनील व रविकांत को धारा—397/34 भा.द.वि. सहपठित धारा—11/13 एम.पी.डी.ब्ही.पी.के. एक्ट 1981 के लिए दोषसिद्ध ठहराया जाता है । धारा—392 भा०द०वि० का आरोप इसी के अंतर्गत समाहित है इसलिये इसमें दोषसिद्ध किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

−ःः– विचारणीय बिन्दु कमांक—3 व 4 —ःः–

- इस संबंध में अभिलेख पर आई साक्ष्य में घटना के विवेचक निरीक्षक शेरसिंह यादव अ.सा.-14 ने इस आशय की स्पष्ट साक्ष्य दी है कि आरोपी राहल का दिनांक-13/07/2015 को पूछताछ कर मेमोरेण्डम कथन लिया गया था जिसमें उसने लूट की वस्तुओं के अलावा घटना में प्रयुक्त 315 बोर का कटटा व एक जिंदा कारतूस अपने घर के कमरे में रखना व बरामद कराना बताया था जिसका उल्लेख उसने प्र.पी.–10 के मेमोरेण्डम कथन में किया था और उसके आधार पर उसी दिन आरोपी राहल से रैग्जीन का बैग और रूपयों के अलावा 315 बोर का एक कटटा व एक जिंदा कारतूस प्र.पी.—11 जब्ती पत्रक मुताबिक जब्त करना बताया गया है और इस संबंध में राहल की ओर से उक्त विवेचक पर किए गये प्रतिपरीक्षण पैरा–12 लगायत-15 में ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं हुआ है, जो जब्ती को खण्डित करता हो, केवल यह सुझाव कि राहुल के घर से कटटा जब्त नहीं किया गया, जिससे विवेचक ने अस्वीकार किया, उससे प्र.पी.—11 का जब्ती पत्रक खण्डित नहीं होता है जिसका समर्थन कालीचरण अ.सा.-4 के द्वारा भी किया गया है जिसने पुलिस के साथ गोरमी जाना भी बताया है कि वह व होतम दोनों गोरमी गये थे । अ.सा.–4 ने पैरा–7 में यह अवश्य कहा है कि उसके सामने राह्ल से कटटा जब्त नहीं हुआ, लेकिन पुलिस द्वारा कटटा राह्ल से जब्त करना और राह्ल के घर से ही गोरमी में जब्त किया जाना उसने बताया है तथा यह भी स्पष्ट रूप से कहा है कि राहुल ने उसके सामने कटटा अपने पास होना कबूला था जिसका खण्डन नहीं है । इससे प्र.पी.—11 मुताबिक कटटा कारतूस की जब्ती बाबत अभियोजन की स्पष्ट और अखण्डनीय साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध है, जिससे कटटा कारतूस की आरोपी राह्ल के आधिपत्य व संज्ञान से ही बरामदगी प्रमाणित मानी जायेगी, जैसा कि ऊपर धारा–27 साक्ष्य अधिनियम के संबंध में विधिक स्थिति को स्पष्ट किया जा चुका है और आरोपी राहुल के आवास से उसकी जानकारी के आधार पर अन्य वस्तुओं के साथ कटटा कारतुस की बरामदगी होना माना जायेगा ।
- जहां तक यह प्रश्न है कि जो कटटा कारतूस जब्त होना बताया गया है क्या वह आग्नेय शस्त्र की श्रेणी में होकर आयुध अधिनियम 1959 के उल्लंघन की श्रेणी में आता है या नहीं । इस संबंध में भी अभिलेख पर साक्ष्य पेश की गयी है जिसमें आरक्षक अजय शर्मा अ.सा.—8 ने अपनी अभिसाक्ष्य में यह स्पष्ट रूप से बताया है कि उसके द्वारा थाना मालनपुर के अप.क.—111/2015 में जब्तशुदा 315 बोर का कटटा व कारतूस जांच हेत् उसे प्राप्त हुआ था और उसने दि0-21/7/2015 को पुलिस लाइन भिण्ड में पदस्थ रहते हुए कटटा कारतुस की जांच की थी जिसमें कटटा एक्सन चैक करने पर चालू हालत में पाया था तथा कारतूस भी जीवित होकर दोनों 315 बोर के थे, कारतूस की पैंदी पर 8 एम.एम.के.एफ. लिखा था। जिसकी उसने प्र.पी.—14 की जांच रिपोर्ट तैयार की थी, प्र.पी.—14 की जांच रिपोर्ट के संबंध में प्रतिपरीक्षा में अन्यथा कोई तथ्य नहीं आये हैं और उक्त साक्षी ने यह भी कहा है कि उसने आयुध जांच का प्रशिक्षण प्राप्त किया है तथा जब्तशुदा आयुद्धों पर थाना प्रभारी की सील भी लगी थी । इससे खण्डन न होने से यह प्रमाणित हो जाता है कि अपराध कमांक-111/2015 में जो कटटा कारतूस जब्त किया गया, वे 315 बोर के होकर आयुध की श्रेणी में आते हैं और शस्त्र लाइसेंस के अभाव में ऐसे आयुध आधिपत्य व संज्ञान में रखना आयुध अधिनियम 1959 की धारा-3 के स्पष्ट उल्लंघन की श्रेणी में आता है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृ0 जरनेल सिंह वि. स्टेट ऑफ पंजाब ए.आई.आर. 1999 एस.सी. पेज-321 में तो यहां तक निर्धारित कर दिया है कि पुलिस अधिकारी जो जब्त हथियारों के प्रयोग के बारे में प्रशिक्षित हो, उसकी साक्ष्य ही पर्याप्त होती है और आर्म्स मोहर्रर का कथन न होने का कोई प्रतिकुल प्रभाव नहीं होता है जबकि इस मामले में तो अ.सा.–8 ने स्पष्ट रूप से आर्म्स जांच में प्रशिक्षित होना अखण्डनीय रूप से बताया है।
- 43. महेन्द्र भदौरिया अ.सा.—12 ने अपने अभिसाक्ष्य में दि0—05/08/2015 को डी.एम. कार्यालय भिण्ड के कार्यालय में आर्म्स क्लर्क पर पदस्थ रहते हुए थाना मालनपुर के अप.क.—111/2015 से संबंधित केस डायरी व सीलबंद शस्त्र आरक्षक भीमसेन क0—909 द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर आरोपी राहुल धानुक के विरुद्ध अभियोजन चलाने की स्वीकृति अवैध कटटा कारतूस जब्त होने के आधार पर चाही गयी थी, जिसे

उसने प्रभारी डी.एम. के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसके साथ पुलिस अधीक्षक का प्रतिवेदन भी था और प्रभारी डी.एम. द्वारा पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन, केस डायरी, जब्तशुदा आयुद्धों का अवलोकन करने के पश्चात आरोपी राहुल के पास कोई शस्त्र लाइसेंस न होने से प्र.पी.—18 की अभियोजन चलाने की स्वीकृति प्रदान की थी, जिसका प्रभारी डी.एम. आर.पी. भारती के ए से ए भाग पर हस्ताक्षर बताये हैं और बी से बी भाग पर स्वयं के हस्ताक्षर बताये हैं । प्रतिपरीक्षा में कोई अन्यथा तथ्य नहीं आये हैं और दिये गये सुझावों को उक्त साक्षी ने अस्वीकार किया है । जिससे प्र.पी.—18 की अभियोजन स्वीकृति प्रमाणित हो जाती है। क्योंकि जब्त कटटा कारतूस कों टेंपर किए जाने का बचाव पक्ष का आधार नहीं है, इसलिये जब्ती पत्रक प्र.पी.—13 के कॉलम नंबर—13 में सील नमूना अंकित न होने का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं माना जा सकता है इस संबंध में न्याय दृ0 बिलाल अहमद वि. स्टैट ऑफ आंध्रप्रदेश ए.आई.आर. 1997 एस.सी. पेज—348 का पैरा—20 का मार्गदर्शन अवलोकनीय है ।

- 44. अभियोजन स्वीकृति प्रदान किए जाने में प्रभारी डी.एम. के द्वारा न्याय विवेक का उपयोग किया जाना परिलक्षित होता है क्योंकि केस डायरी का देखा जाना शस्त्र का अवलोकन करना बताया गया है, जबिक माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृ० गुरूदेव सिंह उर्फ गोगा वि० स्टेट ऑफ एम.पी. आई.एल.आर. (2011) एम.पी. पेज—2053 में यह प्रतिपादित किया गया है कि अभियोजन चलाने की स्वीकृति के समय आयुद्धों का प्रस्तुत किया जाना आवश्यक ही नहीं है। जिससे भी प्र.पी.—18 की अभियोजन स्वीकृति प्रमाणित हो जाती है।
- 45. जब्तशुदा कटटा कारतूस की साक्ष्य में प्रस्तुति को लेकर कोई चुनौती नहीं दी गयी है इसलिये यही उपधारित होगा कि प्र.पी.—11 के माध्यम से जो कटटा कारतूस आरोपी राहुल से बरामद किया गया है, वही जांच हेतु भेजा गया था और उसी के आधार पर अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गयी । तथा लूट की मूल घटना में भी आरोपी राहुल के द्वारा ही अवैध कटटे का उपयोग करते हुए लूट की घटना को अंजाम दिया जाना प्रमाणित माना जा चुका है इसलिये आरोपी राहुल के विरूद्ध विरचित आरोप अंतर्गत धारा—25 (1—बी)(ए) आयुध अधिनियम 1959 को भी युक्ति युक्त संदेह के परे प्रमाणित मानकर दोषसिद्धी की जाती है।
- 46. आरोपीगण के द्वारा लूट की मूल घटना एक महिला के साथ कारित की गयी है,जो अपने लोक सेवक के नाते कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए विद्या अध्यापन हेतु विद्यालय जा रही थी, ऐसी स्थिति में आरोपीगण के नवयुवक व प्रथम अपराधी होने के बावजूद वे अपराध की प्रकृति एवं परिस्थितियों को देखते हुए अपराधी परीवीक्षा अधिनियम 1958 के तहत एवं धारा—360 द.प्र.सं. के तहत लाभ की पात्रता नहीं रखते हैं, इसलिये दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय स्थिगत किया जाता है।

(पी.सी. आर्य) विशेष न्यायाधीश डकैती, गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

<u>दण्डाज्ञा</u>

47. दण्डाज्ञा के बिन्दु पर आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्क सुने गये। विशेष लोक अभियोजक का यह तर्क है कि घटना गंभीर प्रकृति की है, इसलिये आरोपीगण को कठोर दण्ड दिया जावे। जबकि आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि सर्वप्रथम तो घटना संदिग्ध है तथा आरोपीगण नवयुवक हैं और विद्यार्थी हैं तथा प्रथम अपराधी है, उनके विरुद्ध पूर्व की दोषसिद्धि का कोई प्रमाण नहीं है। तथा विचारण के दौरान न्यायिक निरोध में भी रह चुके हैं, इसलिये उन्हें उचित दण्ड मिल चुका है अतः उन्हें पूर्व में भोगी गई अविध से ही दण्डित कर या अर्थदण्ड से दण्डित कर छोड़ दिया जावे। या न्यूनतम दण्ड दिया जावे। तािक उनका भविष्य बरवाद न हो और वे समाज की मुख्य धारा में शािमल रह सकें।

- उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के दण्डाज्ञा पर किए गये तर्कों पर चिन्तन मनन कर विचार किया 48. गया । दोषसिद्ध अपराध की घटना में आरोपीगण के द्वारा फरियादिया श्रीमती विनीता सरल जो कि सहायक अध्यापक होकर विद्यााध्यापन के लिए अपने विद्यालय जा रही थी, तब रास्ते में उसके साथ लूट कारित की गयी । वर्तमान समय में स्त्रियों के सशक्तीकरण की दिशा में अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि वे भी पुरूष की भांति हर क्षेत्र में समाज और देश के विकास में सहभागी हो सकें और अपनी योग्यता और बौद्धिक कौशल से आने वाली पीढी को शिक्षित करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। वर्तमान समय जो स्त्रियां शासकीय सेवा में हैं, उन्हें हमेशा ही यह भय व्याप्त रहता है कि उनके साथ कहीं कोई वारदात न हो जाये अनेक स्त्रियां इसके चलते योग्यता रखते हुए भी सेवाएं न देकर अपना गृहस्थ जीवन ही व्यतीत करने लग जाती हैं, और स्त्रियां शारीरिक रूप से सबल नहीं होती है इस कारण अपराधियों के लिए स्त्रियां अपराध के सॉफट टारगेट पर रहतीं हैं और एकांन्ता पाकर स्त्रियों के साथ कई तरह के गंभीर अपराध घटित हो जाते हैं । वर्तमान समय में स्त्रियों के द्वारा धारित धार्मिक आभूषणों की लूटपात की घटनाएं अधिक संख्या में हो रही हैं। आरोपीगण द्वारा फरियादी श्रीमती विनीता सरल के साथ दिन–दहाडे लूट की व्यटना को अंजाम दिया गया है, जिससे समाज पर बुरा असर पडता है और समाज में भय व्याप्त होता है । ऐसे में लूट डकैती जैसी बढती हुई घटना को देखते हुए मामला सामान्य अपराधों की श्रेणी में नहीं आता है, एवं उदारता का रूख आरोपीगण के नवयुवक होने व विद्यार्थी होने तथा प्रथम अपराधी होने के आधार पर नहीं अपनाया जा सकता है, क्योंकि दण्डाज्ञा के बिन्दु पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह सिद्धांत भी प्रतिपादित किया गया है कि अपराध की प्रकृति के आधार पर यथोचित दण्ड दिया जाना चाहिये ताकि समाज में उसका उचित संदेश जाये और अपराध करने वालों का मनोबल टूटे । तथा विधि की समाज में पृतिष्ठा कायम हो सके। इस संबंध में न्याय दृष्टांत यूनियन ऑफ इण्डिया विरूद्ध कुलदीप सिंह 2004 वॉल्यूम—।। एस.सी.सी. पेज—590 एवं स्टेट ऑफ एम.पी. विरूद्ध मुन्ना चौबे 2005 वॉल्यूम-03जे.एल.जे.(एस.सी.) पेज-277 अवलोकनीय है।
- 49. फलतः समस्त परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात को ऊपर उल्लेखित पैरा क्रमांक—40 एवं 45 मुताबिक राहुल को धारा—397 भा.द.वि. सहपठित धारा—11/13 एम.पी.डी.ब्ही.पी.के. एक्ट 1981 के अपराध के लिए दस वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच हजार रूपये अर्थदण्ड से एवं धारा—25(1—बी)(ए) आयुध अधिनियम 1959 के अपराध के लिए तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित कियाजाता है, अर्थदण्ड जमा न करने की दशा में व्यतिकम की दशा में कमशः 06 माह एवं 03 माह के साधारण कारावास से दण्डित किया जाता है तथा आरोपीगण सुनील व रविकांत को धारा—397/34 भा.द.वि. सहपठित धारा—11/13 एम.पी.डी.ब्ही.पी.के. एक्ट 1981 के लिए दस—दस वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच—पांच हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है । आरोपीगण सुनील व रविकांत द्वारा अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं किए जाने पर उसे व्यतिकम में 06—06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताया जावे ।
- 50. फरियादी श्रीमती विनीता सरल को उसके द्वारा सजगता से कार्यवाही करने के प्रयासों को देखते हुए उसे क्षतिपूर्ति दिलाई जाना उचित होगा । अतः आरोपीगण के द्वारा अर्थदण्ड की राशि जमा करने पर धारा–357 द.प्र.सं. के तहत उसे **एक हजार रूपये** दिलाये जावें ।
- 51. आरोपीगण के सजा वारण्ट बनाया जावे एवं धारा—428 द.प्र.सं. के उपबंध मुताबिक आरोपीगण द्वारा विचारण के दौरान भोगी गयी अवधि समायोजित की जावे, प्रमाणपत्र सजा वारण्ट के साथ संलग्न हो। आरोपी राहुल की कारावास की दोनों सजायें एक साथ भुगतायी जावें।
- 52. प्रकरण में जब्तशुदा संपित्त मोटरसाइकिल पूर्व से पंजीकृत स्वामी आरोपी राहुल के पास को सुपुर्दगी पर दी गयी है एवं मोबाइल व पांच पांच सौ रूपये के दो नोट एवं रैग्जीन का बैग फिरयादी श्रीमती विनीता सरल को पूर्व से सुपुर्दगी पर दिया गया है, अतः सुपुर्दगीनामा अपील अविध पश्चात भारमुक्त समझा जावे । अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय का आदेश मान्य होगा।
- 53. आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं

- 54. निर्णय की प्रति आरोपीगण को निशुल्क प्रदान की जावे।
- 55. निर्णय की प्रतिलिपि डी०एम० भिण्ड की ओर भेजी जावे।

दिनांकः 27 अप्रेल 2016

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(पी.सी. आर्य) विशेष न्यायाधीश डकैती, गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य) विशेष न्यायाधीश डकैती गोहद जिला भिण्ड

ALINATA PARAMETER STATE OF STA